COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No. VCB/Acctts/Pur/2023-24/ 90-99 Dated 10/6/2024

कार्यालय आदेश

इस महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु अल्पकालीन ई–निविदा सूचना सख्या 17/2023–24(कमांक 1633 दिनांक 02.03.2024) जारी की गई, जिसके सन्दर्भ में गठित कमेटी की सिफारिशानुसार कॉलम सं. 5 में अंकित फर्मों के पक्ष में ई–निविदा में वर्णित शर्तो के अनुसार दर अनुमोदित की जाती है:–

1	2	3	4	5
क.स.	विवरण	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर रूपये में प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति दिन (8 घंटे हेतु)	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि(रूपये) प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रतिदिन (8 घंटे हेतु)	अनुमोदित फर्मो के नाम
1.	सुरक्षा प्रहरी (कुशल) (8 घंटे हेतु प्रति दिन प्रति प्रहरी) महाविधालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवाप्रदाता के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के उपापन कार्य	रू0. 283/– प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति दिन (8 घंटे हेतु)	रू0. 1.00	M/S Gajender Enterprises, Fatipura, Bhutton Ka Bas, Bikaner M/s Indian Ex-Serviceman Welfare Co-Operative Society Ltd., 19G Shri Ram Nagar, Jhotwara, Jaipur 302013 M/s V.V. Associate, Fatipura Butto Ka Bass, Bikaner

नोट–कॉलम सख्या 03 में अंकित की गई दर पर **EPF13.61% and ESI 3.25%** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित फर्म को भुगतान देय होगा। उक्त दर के अलावा अनुमोदित फर्म के सुरक्षा कार्य के प्रस्तुत बिल पर नियमानुसार **GST** का भुगतान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निविदा में वर्णित शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

निविदा की शर्ते

1. उक्त सुरक्षा कार्य हेतु ई–निविदा की अवधि अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।
2. प्रत्येक सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) पर सुरक्षा प्रहरीयों को पूरे दिन (24 घण्टे) उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सुरक्षा पोइन्ट (स्थान) सुरक्षा अधिकारी द्वारा तय किये जावेगें व सुरक्षा प्रहरी को उन्ही के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
3. ई–निविदा की शर्त सं. 9 के अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत Undertaking के अनुसार Contract Labour(Regulation and Abolition) Act-1970 के अन्तर्गत लाईसेस जारी करवाकर लाईसेस की छाया प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

Pramod

क्रमशः-2

4. सुरक्षा प्रहरीयों का कार्य एक दिवस में 3 पारियों में होगा। प्रत्येक पारी 8 घण्टे की होगी तथा कोई भी प्रहरी एक ही दिन में दोहरी डयूटी नही करेगा।
5. एक सुरक्षा प्रहरी से 8 घण्टे से अधिक कार्य नही लिया जावेगा।
6. उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षा प्रहरी को छबीस दिन प्रतिमाह के कार्य दिवस अनुसार पारिश्रमिक देय होगा ।
7. सुरक्षा प्रहरीयों के लिए आवास की व्यवस्था विश्वविधालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जावेगी।
8. महाविधालय के कन्या छात्रावास में एवं अन्य स्थान पर आवश्यकता होने पर महिला सुरक्षा प्रहरी लगाना आवश्यक है ।
9. सुरक्षा प्रहरियों का समय समय पर भौत्तिक निरिक्षण आवश्यकता होने पर विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी द्वारा किया जावेगा ।
10. अनुमोदित फर्म द्वारा सुरक्षा प्रहरी को राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। अनुमोदित फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि अनुंबध की अवधि में श्रम कानून की पूर्णतः पालना नही होने स्थिति में निविदा निरस्त कर दिया जायेगी।
11. सुरक्षा प्रहरी को मासिक भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारिख तक करना अनिवार्य होगा। मासिक भुगतान, EPF तथा ESI के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही संबंधित फर्म को मासिक भुगतान किया जायेगा।
12. सुरक्षा प्रहरियों हेतु अनुमोदित फर्म से अनुबंध होने के पश्चात भी सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
13. उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं हेतु रखे गये सुरक्षा प्रहरियों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार या इनके अधीनस्थ विभागों की पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कोई राशि देय होती है तो उसका भुगतान अनुमोदित फर्म द्वारा ही किया जाएगा एवं जीएसटी संबधित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। गत भुगतान के दस्तावेज आगामी भुगतान से पूर्व संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें।
14. अनुमोदित फर्म के सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत प्रथम बिल भुगतान को महाविद्यालय द्वारा "रिस्क कवरेज" के रूप में जमा किया जावेगा। इस राशि का भुगतान बिना ब्याज सन्तोषजनक सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।
15. अनुमोदित फर्म सेवाओं को किसी अन्य को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर निविदा सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज जब्त कर ली जावेगी।
16. सुरक्षा प्रहरी को समय समय पर केन्द्र/राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजज, सवैतनिक अवकाश एंव अन्य वैधानिक भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भी अनुमोदित फर्म की ही होगी व महाविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है। जो उपलब्ध कराने होगें।
17. अनुमोदित फर्मो द्वारा समय पर सुरक्षा प्रहरी की उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति शिफ्ट राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।
18. कार्य निष्पादन हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान अनुमोदित फर्मो को ही किया जावेगा। अनुमोदित फर्म द्वारा नियुक्त सुरक्षा प्रहरी इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। इन्हे किसी भी प्रकार के समस्त दावे या भुगतान अनुमोदित फर्म द्वारा ही देय होंगे।
19. अनुमोदित फर्मो द्वारा महाविद्यालय में अपना एक सुपरवाईजर लगाना होगा, जो कि नियमित रूप से सुरक्षा प्रहरी की उपस्थित का रिकार्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य निरीक्षण करने के उपरान्त समय-समय पर संबंधित सुरक्षा प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सुपरवाईजर का खर्चा अनुमोदित फर्मो द्वारा ही वहन किया जावेगा।

Pramod

20. सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा प्रहरी को मौसमानुसार (गर्मी व सर्दी के अनुरूप) निंधारित गणवेश, कैप, टॉर्च, लाठी व अन्य सभी प्रकार का सामान अनुमोदित फर्मो द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। इसके लिये अनुमोदित फर्मो को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. किसी भी सुरक्षा प्रहरी के कार्य छोड़ने की स्थिति में भी अनुमोदित फर्मो को तुरन्त दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना होगा।

22. अनुमोदित फर्मो के माध्यम से लगाये गये सुरक्षा कर्मी को आवश्यकतानुसार महाविद्यालय परिसर के किसी भी सुरक्षा पाइन्ट पर लगाया जा सकता है।

23. सुरक्षा कार्य हेतु अनुमोदित फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा कार्य हेतु नियुक्त प्रहरी की आयु 21 से 60 वर्ष तक ही होनी चाहिए।

24. अनुमोदित फर्मो द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। सुरक्षा प्रहरी की Eye Side तथा Hearing / आवश्यक पाये जाने पर मेडिकल करवाया जायेगा। सुरक्षा मापदण्डों के सन्दर्भ में स्वास्थ विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबधित सुरक्षा प्रभारी को प्रस्तुत कराना होगा । उक्त प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति की ही सेवा अनुमोदित फर्मो द्वारा सुरक्षा प्रहरी के रूप में सेवायें उपलब्ध करवायी जावेगी।

25. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य (जैसे चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस सुरक्षा कर्मी की पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। ऐसे सुरक्षा प्रहरी के विरूद्ध की गयी किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी अनुमोदित फर्म द्वारा ही देय होगा।

26. अनुमोदित फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा प्रहरी हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल–चलन व चरित्र अच्छा हो।

27. अनुमोदित फर्मो द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की सूची प्रभारी सुरक्षा व्यवस्था ,सी.वी. ए.एस., बीकानेर को उपलब्ध करवानी होगी जिसमें निम्न प्ररूपानुसार पूर्ण जानकारी देनी होगी :–

क्र. सं	सुरक्षा प्रहरी का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल / दूरभाष नं.	आधार कार्ड नं.	बैंक का नाम व ब्रान्च	खाता संख्या	नवीनतम फोटो
	2	3	4	5	6	7	8

28. सभी सुरक्षा प्रहरियों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। किसी सुरक्षा प्रहरी के अनुपस्थित रहने या उसका कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुमोदित फर्म द्वारा उसके स्थान पर यथाशीघ्र दूसरे सुरक्षा प्रहरी को लगाना होगा।

29. अनुमोदित फर्म को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को "परिचय पत्र" आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा जिसमें सुरक्षा कर्मी की नवीनतम फोटो, नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर व आधार नम्बर एवं परिचय पत्र जारी करने की तीरीख मय मोहर अंकित करवाकर, जिसको महाविधालय के सुरक्षा प्रभारी द्वारा प्रमाणित करावाना आवश्यक होगा ।

30. कार्यादेशों के अनुबंध की शर्तो को भंग करने या संविदा के संतोषजनक ढ़ग से पूरा न करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्ण या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस संबंध में

Pramod.

मोहनलाल-4

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

31. अनुमोदित फर्मो को सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु प्रति सुरक्षा प्रहरी प्रति दिन (8 घंटे) हेतु कार्य करना होगा ।
32. सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्य Annexure-I के अनुसार ही होगे । Annexure-I में वर्णितानुसार सुरक्षा एरिया में अनुमोदित फर्मो को सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाने होंगे।
33. सुरक्षा एरिया में किसी भी प्रकार की चोरी हुए सामान / नुकसान की भरपाई अनुमोदित ठेकेदारों को करनी होगी । चोरी हुए सामान / नुकसान की कीमत कमेटी द्वारा तय की जावेगी, जिसकी कीमत अनुमोदित ठेकेदार से वसूल की जावेगी ।
34. श्रम विभाग एवं लेबर एक्ट आदि के तहत समस्त कानूनी उत्तरदायित्व अनुमोदित फर्म का होगा।
35. महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा प्रहरी को देय राशि / EPF/ESI/GST/ग्रुप बीमा एवं अन्य करों तथा सुरक्षा प्रहरी की आपुर्ति के लिये देय प्रीमियम का भुगतान अनुमोदित फर्मो को किया जावेगा। अनुमोदित फर्म द्वारा सुरक्षा प्रहरी को देय भुगतान में से PF/EPF and ESI के पेटे उसके अंशदान को कम करते हुए भुगतान सुरक्षा प्रहरी के बैक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा पेमेन्ट जारी करने से अगले सात दिवस में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। इसी प्रकार सुरक्षा प्रहरी के भुगतान में से काटे गये PF/EPFand ESI आदि के साथ विश्वविद्यालय द्वारा PF/EPFand ESI आदि की प्रति संबंधित प्रभारी का प्रस्तुत करनी होगी। अनुमोदित फर्म को अगले माह का भुगतान पूर्व माह हेतु सुरक्षा प्रहरी के PF/EPFand ESI आदि के जमा करवाने के चालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये GST को राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के संबंध में होने वाले सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन का उत्तरदायित्व अनुमोदित फर्म का होगा।
36. सुरक्षा प्रहरी द्वारा EPF and ESI की कटौती करवानी अनिवार्य होगी।
37. वर्तमान में EPF कटौती में सुरक्षा प्रहरी का हिस्सा 12 प्रतिशत (मजदूरी का) एवं अनुमोदित फर्म का 13.61 प्रतिशत (मजदूरी का) अर्थात कुल 25.61 प्रतिशत सुरक्षा प्रहरी के EPF खाते में प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य है। इसी भांति सुरक्षा प्रहरी का हिस्सा ESI में 0.75 प्रतिशत एवं 3.25 प्रतिशत नियोक्ता का हिस्सा कुल 4.00 प्रतिशत (अंशदान) (मजदूरी का) संबंधित सुरक्षा प्रहरी के खातें में जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि इस प्रावधान में संबंधित अधिनियम द्वारा काई सशोधन किया जाता है, तो अनुमोदित फर्म उसकी पालना हेतु बाध्य होगा। किसी दुर्धटना या घटना के घटित होने पर कोई क्षतिपूर्ति आदि देय नही होगा तो उसकी जिम्मेवारी अनुमोदित फर्म की होगी। महाविद्यालय द्वारा कोई दावा नही दिया जावेगा Note-(1) EPF and ESI की कटौती में राज्य सरकार के आदेशानुसार कमी / वृद्धि की जा सकेगी।
38. न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित अनुमोदित फर्म का होगा। वित्त (G&T)विभाग राजस्थान सरकार परिपत्र संख्या 1/2018 कमांक एफ.2(1) वित्त / एस.पी.एफ.सी. / 2017 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों का पालना अनुमोदित फर्म को करना होगा।
39. अनुमोदित फर्मो को नियमानुसार अनुमोदित दर के आधार पर सम्पूर्ण कार्य के एक वर्ष की राशि का 5% कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि (Bid Performance Security) के रूप में जमा करानी होगी तथा रू0. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाप पर 15 दिवस के अन्दर अन्दर अनुंबध प्रस्तुत करना होगा।
40. अनुमोदित फर्मो द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि व अनुबंध पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी ।
41. अनुमोदित फर्मो से अनुबंध करने से पूर्व उनके मूल लाइसेन्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन (Verification) किया जाएगा।
42. अनुमोदित फर्मो को अनुबंध के साथ महाविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टेंप पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी कि सुरक्षा प्रहरी को नियमानुसार राशि सीधे सुरक्षा

Pramod.

मोहन -5

प्रहरी के बैंक खातें में जमा करवाकर कार्य बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

43. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियाँ टी.डी.एस., जी.एस.टी. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जाएगी।

44. केन्द्र/राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ विभाग न्यूनतम दरो में कमी/वृद्धि करते हैं या अन्य कोई कर/कटौती लागू करतें हैं तों अनुमोदित एजेन्सी उसी अनुरूप स्वयं कार्यवाही/लागू करेगी। इसमें कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

45. उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरियों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि सुरक्षा प्रभारी को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

46. सुरक्षा प्रहरी कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का अनुमोदित फर्मो को उनका प्रमुख नियोक्ता (Principal employer) माना जावेगा। किसी भी प्रकार के सामान्य या न्यायिक विवाद के लिये अनुमोदित फर्म ही जिम्मेदार होगी।

47. अनुमोदित फर्मो द्वारा सन्तोषजनक सेवाएँ प्रदान न करवाने या सेवा प्रदान करवाने में असफल रहने की स्थिति में उनकी सेवायें निरस्त करते हुये कार्यसम्पादन राशि व रिस्क कवरेज राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुये अनुमोदित फर्म की रिस्क व कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म या अन्य एजेन्सी से सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुमोदित फर्मो की होगी।

48. अनुमोदित फर्मो को कार्य आदेश जारी होने पर जिस तिथि से सुरक्षा कार्य करवाया जाना है । उस तिथि से सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाने आवश्यक होंगें अन्यथा प्रति दिवस प्रति पोईन्ट 1000/- जुर्माना किया जावेगा, जो अनुमोदित फर्मो के बिलों या कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से वसूल किया जावेगा।

49. अनुमोदित फर्मो को प्रदाय की गई सेवा का भुगतान सुरक्षा प्रभारी के भौतिक सत्यापन एवं बिल प्रमाणीकरण उपरान्त देय होगा जिसमें संबंधित उपरोक्त अधिकारी की सिफारिश पर या नियमानुसार कोई कटौती बनती है तो यह कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

50. महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय बिना परिचय पत्र या बिना र्निधारित गणवेश के कार्यरत सुरक्षा प्रहरी पर रू 100/- प्रति सुरक्षा कर्मी, प्रति दिन दण्डात्मक रूप में अनुमोदित फर्मो से वसूल किये जावेंगें।

51. किसी सुरक्षा प्रहरी के कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहने या सोते हुये पाये जाने पर प्रति सुरक्षा प्रहरी, प्रति पारी (8 घंटे)न्यूनतम रू 1000/- दण्ड के रूप में अनुमोदित फर्मो से वसूल किये जावेंगें।

52. महाविद्यालय द्वारा अनुबंध बिना किसी कारण बताये भी निरस्त किया जा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।

53. अनुमोदित फर्मो द्वारा दी जा रही सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की 1 तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा अनुमोदित फर्मो के बैंक खाते में होगा क्लिनिक क्षेत्र व हॉस्टल क्षैत्र का बिल संबधित अधिकारी से सत्यापित करवाया जायेगा।

54. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने कि स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी,अन्य न्यायालय पर नहीं।

55. सेवा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार के विधि वाद की समस्त जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी।

Pramod.

COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

56. सुरक्षा अवधि के दौरान महाविद्यालय को किसी प्रकार की चोरी हुए सामान/नुकसान/टूट–फूट के संबंध में अनुमोदित फर्म की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। चोरी हुए सामान /नुकसान की कीमत कमेटी द्वारा तय की जावेगी, जिसकी कीमत अनुमोदित फर्म से वसूल की जावेगी।

कृप्या अवगत हो कि अनुबंध अवधि में अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तो के साथ –साथ इस कार्यालय द्वारा जारी अल्पकालीन ई–निविदा सूचना सख्या 17/2023–24 (कमांक 1633 दिनांक 2.3.2024) के सुरक्षा अनुबंध हेतु नियम व शर्तो, राज्य सरकार के द्वारा समय –समय पर जारी परिपत्र/आदेशों में उल्लेखित शर्तो तथा RTPP Rule – 2013 व RTPP Act- 2012 के अनुरूप सभी नियम, धाराएँ/उपधाराएँ लागू होंगी। जिसकी पालना अनुमोदित फर्मों द्वारा आवश्यक रूप से की जावेगी।

भ व दी य

10/6/24

अधिष्ठाता

प्रतिलिपिः–

1. निजि सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राजुवास, बीकानेर ।
2. श्रीमान् कुल सचिव, राजुवास, बीकानेर ।
3. वित्त नियंत्रक/कोषाधिकारी, राजुवास, बीकानेर ।
4. नोडल ऑफिसर, एसपीपीपी/नीसाजीनेट, राजुवास, बीकानेर ।
5. प्रभारी ,सुरक्षा व्यवस्था, सी.वी.ए.एस., बीकानेर ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी,सी.वी.ए.एस., बीकानेर ।
7. M/S Gajender Enterprises, Fatipura, Bhutton Ka Bas, Bikaner
8. M/s Indian Ex-Serviceman Welfare Co-Operative Society Ltd., 19G Shri Ram Nagar, Jhotwara, Jaipur 302013
9. M/s V.V. Associate, Fatipura Butto Ka Bass, Bikaner
10. सहायक लेखाधिकारी/बिल क्लर्क/चैक राईटर/कैशियर,सी.वी.ए.एस., बीकानेर ।

10/6/24

अधिष्ठाता

Pramod.

COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, BIKANER

Annexure-I

सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा एरिया, सुरक्षा पोईन्ट व अनुमोदित फर्म निम्नानुसार है:–

S.No.		Security area	No. of security point (approx,) for 24 hours	Firm
Side-All Area Opposite University Main Gate (i.e. Dairy Campus,Poultry, Girls Hostel etc.)				
A	I	College Dairy Campus complete including LRS, RKVY Rathi Cattle Project, Feed & Fodder stores, Cows sheds , Feed Plant etc. and adjoining.	01	M/S Gajender Enterprises, Fatipura, Bhutton Ka Bas, Bikaner
	II	Department of ABG, LPT, LPM, Obst. & Gynae . Clinic, COE, and adjoining areas.	01	
	III	Poultry Farm campus complete and adjoining areas.	01	
	IV	Girls Hostel Main gate , ADSW office, Department of Anatomy campus , Married Boys Hostel and adjoining areas.	01	
	V	Inside Girls Hostel and adjoining areas.	01	
	VI	RAJUVAS Residential Colony-II and adjoining area	01	
Side- All Area University Main Gate to Back Gate (i.e.All University Campus, Clinical Area and public health etc.)				
B	I	Department of Public Health , Surgery & Radiology , Obst& Gynae . , Vet. Medicine, Clinics, Extension ,Incinerator room , and adjoining areas.	01	M/s Indian Ex-Serviceman Welfare Co-Operative Society Ltd., 19G Shri Ram Nagar, Jhotwara, Jaipur 302013
	II	Department of Parasiotology, Biochemistry, Mohan Singh Lecture Theatre, Biochemistry, Pharmacology, Physiology ADM Office i.e V.C. Secreteariat ,Comptoller Office, Registrar Office, Treasury Office, IUMS , DEE office, Dean PGS office, DPME, college cash section & central store, Library, Library lecture Theatre & Vijay Bhawan Building, Workshop, Games & Sports , Gymnasium , Director Work, Eng. Technology centre and adjoining areas.	01	
	III	University Main Gate, Tennis Grounds, DSW,PRC, Landscape, national Flag, University Flag Guest House, faculty House, Department of Pathology, B- Bock Quarters, Tube well, Gardens and adjoining areasand adjoining area.	01	
	IV	Vice- Chancellor Residence	01	
	V	Department of Microbiology , Apex centre , Central Air conditioner chiller plants, Generators, Auditorium and adjoining areas and College Main college main gate, flag Hosting ground & gardens and adjoining areas.	01	
	VI	RAJUVAS Residential Colony-I and adjoining area	01	

Pramod.

Side- All Area Opposite University Back Gate (i.e. DEAN Office Campus,Sadul Sadan and Hostels etc.)				
C	I	Savidhan Park, Sadul Sadan, Department of Animal Nutrition, and Feed resource management centre, Museum, Hydroponics machine and adjoining areas.	01	M/s V.V. Associate, Fatipura Butto Ka Bass, Bikaner
	II	PG-II, UG-II Hostels and adjoining areas.	01	
	III	Inside UG-1Hostel and adjoining areas	01	
	IV	UG-I Hostel Main Entry Gate and adjoining areas	01	
	V	PG-I, ,Intern Hostel, Hostel Ground and adjoining areas.	01	

नोटः– उक्त सुरक्षा पोईन्ट एरिया में प्रभारी सुरक्षा द्वारा आवश्यकता होने पर कमी/वृद्वि की जा सकेगी ।

DEAN